However, Central Government have already sent guidelines to State Government to ensure proper use of this legislation.

Action taken on the Report of Judicial Inquiry on Lathi Charge on the Blind in Delhi

347. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the judicial enquiry held in connection with the lathi charge on the blind persons in Delhi in March, 1980 revealed that some police personnel were guilty of excesses;

(b) if so, the details thereof and the action taken against the guilty persons; and

(c) if no action has been taken so far, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA) (a) to (c). The Commission held Shri Ram Lubhaya, Station House Officer, Police Station Parliament street, mainly responsible for the incident. The Commission also found lapses on the part of Assistant Sub-Inspector Shri Brinda Singh, and Assistant Commissioner of Police Shri Narinder Cingh. The Commission further found lapse on the part of the Despatcher of X-Branch of Police Headquarters.

Department action against Station House Officer, Shri Ram Lubhaya, Assistant Sub-Inspector, Shri Brinda Singh and Assistant Commissioner of Police, Shri Narinder Singh, has been initiated. Constable Abhey Singh, Despatcher, has been awarded censure.

The Commission observed minor lapses on the part of Deputy Commissioner of Police, Shri P. R. S. Brar. Shri Brar has been transferred and has been warned to be more vigilant in future.

भीलवाड़ा में एक कागज संयंत्र स्थापित किया जाना

348. **श्री गिरधारी लाल व्यास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अभ्रक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या बहुत से स्थानों पर काफी मात्रा में अभ्रक का अपशिष्ट पड़ा हुआ है क्योंकि वहां पिछले कई वर्षों से अभ्रक निकाली जा रही है ;

(ग) क्या एम०आई०टी०सी०ओ० (मिटको) ने अभ्रक के अपशिष्ट से कागज बनाने का निर्णय किया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार कागज के इस कारखाने को लगाने के लिए भीलवाड़ा के हक में निर्णय लेने का है क्योंकि इस कार्य के लिए यह बहुत उपयुक्त स्थान है और यह एक पिछड़ा क्षेत्र भी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय कर लेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) भीलवाड़ा में वर्ष 1980 में 868 मी० टन तथा 1980 को समाप्त पिछले 10 वर्षों में 11,794 मी० टन क्रूड अभ्रक का उत्पादन हुआ था । यह अनुमान लगाया गया है कि क्रूड उत्पादन में 70 से 82 प्रतिशत अभ्रक छीजन व स्क्रैप निकल सकता है ।

(ग), (घ) और (ङ), मैसर्स माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभ्रक कागज (माइका पेपर) पर आधारित तथा अभ्रक के छीजन पर आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए भीलवाड़ा, राजस्थान में

एक एकक स्थापित करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था । राजस्थान में मिलने वाला अभ्रक पर आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए, उपयुक्त नहीं समझा गया है । इसके अलावा, झुमरीतल्लैया, बिहार में एक नया एकक स्थापित करने सम्बन्धी कम्पनी का आवेदन पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रथमदृष्टया रद्द करने सम्बन्धी पत्र 26-12-80 को जारी किया गया था । कम्पनी के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है तथा मामला अब भी विचाराधीन है ।

जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की मिलों और खानों में काम कर रहे कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि की राशियों का जमा न कराया जाना

349. **श्री गिरधारी लाल व्यास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला भीलवाड़ा की अनेक मिलों तथा खानों ने अनेक वर्षों से कर्मचारी भविष्य निधि की राशियां जमा नहीं कराई है और यदि हां, तो उनके नाम क्या है और वे कब से ऐसी चूक कर रहे हैं ;

(ख) क्या भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान उनके वेतनों से काट लिया गया था और मिलों तथा खानों के प्रबन्धकों ने सब राशियां अपने पास रख लीं और ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिन्होंने कर्मचारियों का तथा स्वयं अंशदान जमा नहीं कराया है ;

(ग) क्या भीलवाड़ा जिले में ऐसे अनेक प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने गत दस वर्षों से अपने कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि की रसीदें जारी नहीं की हैं, और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन प्रतिष्ठानों और जिन अधिकारियों की सांठगांठ से यह हुआ है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान उनके वेतनों से तो काट लिया परन्तु सरकार के पास उसे जमा नहीं किया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) : विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रश्न के विभिन्न भागों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है :—

(क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान, उनके सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि परिवार पेंशन निधि और कर्मचारी सम्बद्ध बीमा देय राशियों के भुगतान में देरी हैं:—

प्रतिष्ठान का नाम	अवधि, जिसके लिए देय राशियां का भुगतान नहीं किया गया है ।
1	2
1. मैसर्स सत्यनारायण नथानी अभ्रक खान मालिक, जिला भीलवाड़ा	मार्च, 1976 से आगे की अवधि के लिए
2. मैसर्स सेवा सदन, भीलवाड़ा	अगस्त, 1980 से अब तक
3. मैसर्स भूपाल माइनिंग वर्कस, भीलवाड़ा	—यथोक्त—
4. मैसर्स भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा	—यथोक्त—